ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
EUROPEAN UNION FOR ARMENIA

Human Rights Defender of RA

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

नरि्देशकिा

कोरोना वायरस और आपातकाल की स्थति मिें मानवाधकिार£
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
EUROPEAN UNION FOR ARMENIA

Human Rights Defender of RA

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

प्रोजेक्ट " आर्मेनिया में मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण "

इस पुस्तिका का अनुवाद ,मुद्रण यूरोपीय संघ की वित्तीय सहायता द्वारा तैयार किया गया है। आर्मेनिया गणराज्य के मानवाधिकार कार्यवाही कार्यालय पुस्तिका की सामग्री पर जिम्मेदारी वहन करती है और और जरूरी नहीं कि वे पुस्तिका सूचना यूरोपीय संघ के विचारों को प्रतिबिबित करें।

नोट- इस पुस्तिका में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे सूचना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के और यूनिसेफ के विचारो को प्रतिबिबित करें।

UNFPA

UNDP

Empowered lives.
Resilient nations.

unicef

नए कोरोना वायरस (कोविड-१९)[१] के संक्रमण को फैलने से रोकने के कारण आपातकाल की स्थिति मानव से अपने अधिकारों और प्रतिबंधों के बारे में जागरूकता का उच्च स्तर प्रदर्शन करने की मांग करता है । जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनके जवाबों के आधार पर इस पुस्तिका को विकसित किया गया है ।

१. कोरोना वायरस क्या है?

कोरोना वायरस की उत्पत्ति २०१९ में हुइ है और पहले कभी भी मनुष्य में नहीं पाया गया है। कोरोना वायरस हल्के (तीव्र श्वसन संक्रमण,फ्लू या जुकाम) और गंभीर दोनों बीमारियों का कारण बन सकता है। कोरोना वायरस मनुष्यों में पहले से ही संक्रमित रोगी के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फ़ैलता है। वायरस हवा में ३ घटों तक रहता है, कार्डबोर्ड (लकड़ी के गत्ते) पर २४ घंटे तक रहता है, तांबे पर ४ घंटे तक और प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर दो से तीन दिन तक जीवित रहता है। संक्रमित होने के लक्षणों में शरीर के तापमान में वृद्धि/बुख़ार, सूखी खांसी,थकान, सांस लेने में कठिनाई और आदि शामिल हैं । वायरस की ऊष्मायन अवधि १-१४ दिनों की होती है। अधिकांश लोग (लगभग ८०%) विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ही ठीक हो जाते हैं । १३ मार्च, २०२० को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को पैनडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया है । दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज या टीका नहीं है।

२. कोरोना वायरस के संक्रमण से कैसे करें बचाव ?

कोरोना वायरस से बचाव के लिए इन सावधानियों को जरूर अपनाएं

⇒ खाने से पहले या बाद में कम से कम २० सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, खांसने या छींकने पर अपना मुंह व नाक रुमाल से ढकें, इस के बाद उसे कचरे में फेंक दें।

⇒ साधारण कीटाणुनाशक से बार-बार सभी सतहों को सफाई करें। दिन में कम से कम एक बार स्नानघर और बाथरूम के सतहों को ब्लीचिग पाउडर से सफाई करें। कपड़े, बिस्तर लिनन, स्नान तौलिए और हाथ तौलिए और अन्य सामान का उपयोग करने के बाद उन्हें नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं या वाशिग मशीन में ६०-९० डिग्री सेल्सियस के तापमान प

⇒ र धोएं, धोते समय, साधारण वाशिग पाउडर का उपयोग करें, और फिर अच्छी तरह सुखा लें।

[1]कोरोना वायरस

⇒ बिना लक्षण वाले लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। मास्क का इस्तेमाल केवल संदिग्ध व्यक्तियों के साथ संवाद करते समय, खाना व अन्य खाने पीने की वस्तुएं बनाते व

परोसते हुए, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल देते समय और बंद जगहों में करना चाहिए। कम से कम हर ३-४ घंटे में मास्क जरूर बदलना चाहिए अन्यथा यह खतरनाक भी हो सकता है। चेहरे को मास्क से अच्छी तरह ढंकना चाहिए।

⇒ अपने नाक, मुंह और ठुड्डी पर मास्क लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों तरफ कोई गैप न हो। फिट करने के लिए समायोजित करें।

⇒ यदि आप निश्चित कि वह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है मास्क, दस्ताने और हेर्मेटिक चश्मा पहनना अनिवार्य है, क्योंकि संक्रमण आँखों के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है।

⇒ अगर सार्वजनिक स्थानों (परिवहन, दुकान, आदि)पर होना अपरिहार्य है तो १.५-२ मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए।

वायरस हवा में३घटों तक रहता है,कार्डबोर्ड (लकड़ी के गत्ते) पर २४ घंटे तक रहता है,तांबे पर ४ घंटे तक और प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर दो से तीन दिन तक जीवित रहता है।

३.जोखिम वाले समूहों में कौन हैं?

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गंभीर बीमारी के विकास के उच्च जोखिम में हैं-

⇒ गर्भवती महिलाएं

⇒ ७० वर्ष से अधिक आयु के लोगों (स्वास्थ्य की परवाह किए बिना)

⇒ ७० वर्ष से कम आयु के व्यक्तियाँ, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हैं

⇒ पुरानी (दीर्घकालिक) सांस की बीमारियों वाले लोग,(अस्थमा, पुरानी फेफड़ों की बीमारी (सीओपीडी), वातस्फीति या ब्रोंकाइटिस),

⇒ दिल की पुरानी बीमारी वाले रोगियों (दिल की विफलता),

⇒ गुर्दे की पुरानी बीमारी वाले (हेपेटाइटिस),

⇒ पुराने तंत्रिका संबंधी बीमारी वाले (पार्किंसंस रोग, मल्टीपल स्केलेरोसिस (एमएस), सेरेब्रल पाल्सी),

⇒ मधुमेह (डायबिटीज) की बीमारी वाले

[१]देखें ‹‹आर्मेनिया गणराज्य के पूरे इलाके में आर्थिक गतिविधियों के प्रकारों पर लागू प्रतिबंधों के बारे में››
सेनापति का निर्णय २४ मार्च, २०२०, संख्या -१४ https://www.gov.am/files/docs/3967.pdf ।
देखें ‹‹ सेनापति का निर्णय में (२४ मार्च, २०२०, संख्या -१४) परिवर्तन और परिवर्धन करने के बारे में ››,
सेनापति का निर्णय २४ मार्च, २०२०, संख्या -१७https://www.gov.am/files/docs/3973.pdf:

[2] देखें ‹‹आर्मेनिया गणराज्य के पूरे इलाके में सार्वजनिक सेवाओं पर लागू प्रतिबंधों के बारे में›› सेनापति का निर्णय २४ मार्च, २०२०, संख्या - १५ https://www.gov.am/files/docs/3968.pdf: ।

४. वर्तमान में देश में कौन सी कानूनी व्यवस्था लागू है और इसका क्या मतलब है?

कोरोना वायरस(कोविड-१९) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार के निर्णय अनुसार

१६ मार्च२०२०को अर्मेनिया गणराज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है । आपातकाल की स्थिति के दौरान मानव तथा नागरिकों की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते हैं ।

५. कौन-से अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते है?

आर्मेनिया गणराज्य के संविधान के अनुसार निर्धारित अधिकारों हैं, जो पूर्ण प्रकृति के रूप में हैं और आपातकाल की स्थिति के दौरान प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं ।

मूल अधिकारों निम्नलिखित हैं-

⇒ मानव अधिकार रक्षक को आवेदन करने का अधिकार,

⇒ न्यायिक सुरक्षा का अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों को आवेदन करने का अधिकार,

⇒ न्यायिक सुरक्षा का अधिकार, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार और निर्दोषता का अनुमान,

⇒ अपराधी का अपील करने का अधिकार, क्षमा करने का अधिकार,

⇒ मानव की गरिमा और जीवन का अधिकार,

⇒ शारीरिक और मानसिक प्रतिरक्षा का अधिकार और अत्याचारों का निषेध, कानून के समक्ष समानता,

⇒ शादी करने की स्वतंत्रता,

⇒ बाल अधिकारों, शिक्षा का अधिकार (प्रतिस्पर्धी आधार पर शिक्षा के अधिकार के सिवाय),

⇒ विचार और धर्म की स्वतंत्रता ।

६. कौन- से मुख्य प्रतिबंधों लगाते हैं?

महामारी के प्रसार को देखते हुए इन प्रतिबंधों में आम तौर पर लोगों के संपर्क पर प्रतिबंध, मुक्त आंदोलन पर प्रतिबंध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कुछ गतिविधियों में संलग्न पर प्रतिबंध शामिल हैं और जिम्मेदारियाँ मिनिटरी और महामारी के नियमों का पालन करने से संबंधित हैं। प्रतिबंध के उपायों हैं, उदाहरण:

- ⇒ इन्सुलेशन,
- ⇒ आत्म-अलगाव या सेल्फ क्वारेंटाइन,
- ⇒ मुक्त आंदोलन पर प्रतिबंध ।

७. संगरोध क्या होता है ?

संक्रामक रोगों या नाशीजीवों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लोगों या सामान की आवाजाही और दूसरों से घुलने-मिलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, जिसे संगरोध या क्वारंटीन कहते हैं। संगरोध करने का उद्देश्य संक्रामक रोगों से ग्रसित अथवा संक्रामक रोगियों के सम्पर्क में आए लोगों के आवागमन को अत्यन्त सीमित करना होता है। क्वारंटीन का काल अब रोग विशेष के रोकने के लिये आवश्यक समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

८. अलगाव क्या है?

अलगाव रोगी या रोगी के संपर्क में व्यक्तियों (संपर्कों) का अलगाव है अपने स्थायी निवास-स्थान पर या कहीं और अन्य व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क को सीमित करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए।

९ . आत्म-अलगाव क्या है?

आत्म-अलगाव रोगी या रोगी के संपर्क में व्यक्तियों (संपर्कों) का अलगाव है अपने स्थायी निवास-स्थान पर या कहीं और अन्य व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क को सीमित करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए।

१०. इन्सुलेशन और आत्म-इन्सुलेशन के बीच अंतर क्या है?

अलगाव और आत्म-अलगाव व्यक्ति के स्थान के आधार पर भिन्न होते हैं। अगला अंतर उन पर लागु करने का कारण है। अलगाव केवल तब होता है जब व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में हुआ है। अलगाव संक्रमित व्यक्ति और उस के साथ संपर्क व्यक्तियों के अलावा तब होता है जब, उदाहरण के लिए, आदमी कोरोनोवायरस का प्रसार के दृष्टिकोण से जोखिम वाले देशों से अभी लौटा है।

११. क्या मैं देश के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता/ सकती हूं?

आर्मेनिया गणराज्य के पूरे इलाके में लोगों का स्वतंत्र आवागमन का अधिकार प्रतिबंधित है और स्थायी निवास-स्थान पर या कहीं और अनिवार्य अलगाव में रहने का इरादा है ।
लागू नहीं होता

⇒ सेनानायक के निर्णय द्वारा अधिकृत संस्थाओं (उदाहरण के लिए संगठनों) के कर्मचारियों पर,

⇒ उन व्यक्तियों पर जिनके पास काम करने का अधिकार है [२],

⇒ निम्नलिखित यात्राओं पर : शॉपिग सेंटरों, उपभोक्ता वस्तुओं के बाजारों, कृषि उत्पाद बाजारों, पशु बाजारों, मेलों और प्रदर्शनी स्थलों और आखिरियों से बाहर होनेवाले खाद्य पदार्थ की वस्तुओं की बिक्रियों, फार्मेसियों, कृषि बाजारों, अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों, साथ ही देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के निवास स्थानों या अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार के स्थानों,

⇒ निवास स्थान के पास दिन में केवल एक बार शारीरिक व्यायाम या बाइक चलाने पर

१२. किस मामले में आवाजाही के लिए पत्र आवश्यक है?

प्रत्येक मामले में, हर बार घर से बाहर जाने के लिए पहचान पत्र (परिशिष्ट देखें) और पहचान दस्तावेजों साथ लेना अनिवार्य है।

१३. पहचान पत्र में क्या भरना चाहिए?

आंदोलन पत्र में निम्नलिखित जानकारी भरने की आवश्यकता है:

⇒ दिनांक

⇒ प्रथम नाम/मध्य नाम/अंतिम नाम

⇒ बाहर निकलने का समय,

⇒ बाहर निकलने का पता,

⇒ यात्रा का स्थान,

⇒ यात्रा का उद्देश्य,

⇒ अपेक्षित वापसी समय,

⇒ हस्ताक्षर

१४. क्या करूँ यदि मेरे पास पहचान पत्र नहीं है या छाप करने की संभावना नहीं है?

यदि आपके पास आंदोलन पत्र नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित टेम्पलेट को छाप करने की संभावना नहीं है आप इसको लिखावट से भर सकते है ।

१५. कार में कितने लोग होना चाहिए?

८ से अधिक सीटों वाली कार में एक वयस्क को परिवहन कर सकते हैं ।

१६. क्या कार में लोगों की संख्या से संबंध अपवाद हैं?

बच्चों को परिवहन करते समय उनकी संख्या संबंधी कोई सीमा नहीं है । दृश्य और श्रवण दोष वाले व्यक्तियों के परिवहन करते समय उस व्यक्ति की देखभाल करने वाले का परिवहन भी अनुमति है ।

१७. मैं आर्मेनिया गणराज्य का नागरिक हूं क्या मैं देश से जा सकता\सकती हूँ?

अर्मेनिया गणराज्य की भूमि सीमा पार करने के संबंध में देश से बाहर प्रतिबंधित है । वायुमार्ग द्वारा आर्मेनिया गणराज्य का नागरिक देश से बाहर जा सकता\सकती है ।

१८.मैं आर्मेनिया गणराज्य का नागरिक हूं और विदेश में हूँ क्या मैं आर्मेनिया गणराज्य लौट सकती हूँ?

आर्मेनिया गणराज्य के नागरिक के लिए आर्मेनिया गणराज्य में प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है।

१९. आर्मेनिया गणराज्य में कौन प्रवेश कर सकते हैं?

⇒ आर्मेनिया गणराज्य के नागरिकों,

⇒ उन के परिवार के गैर-नागरिक सदस्यों,

⇒ गैर-अर्मेनिया नागरिकों जिनको कानूनी तौर पर अर्मेनिया में निवास करने का अधिकार है।

⇒ महामारी तनाव वाले देशों की सूची से प्रवेश वालों के सिवाय या पिछले १४ दिनों के भीतर उन देशों में होनेवाले व्यक्तियों के सिवाय गैर-अर्मेनिया नागरिकों

⇒ महामारी के तनाव वाले देशों (क्षेत्रों) के राजनयिक प्रतिनिधि, दूतावासों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि और उनके परिवार के सदस्यों

⇒ स्वास्थ्य, आर्थिक या विनिर्माण के आपातकालीन जरूरतों वाले व्यक्तिों, अंतिम संस्कार या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मृतक के रिश्तेदारों, माता-पिता, पति \पत्नी, बच्चे, बहन और भाई, साथ ही

⇒ आर्मेनिया गणराज्य में रूसी सीमा सैनिकों, उनके परिवार के सदस्य - साथ रहने वाले माता-पिता, बच्चे, पति / पत्नी, सभी मामलों में बॉर्डर गार्ड कमांडर की विशेष अनुमति के अनुसार

⇒ ट्रक ड्राइवर जो रूसी संघ, ईरान या जॉर्जिया से ट्रक के द्वारा माल या उत्पाद को परिवहन करता है और प्रतिस्थापन एक ट्रक ड्राइवर, साथ ही कार्गो हवाई जहाजो के प्रवेश और निकास, केवल उनके कर्मचारियों के लिए, यदि उपरोक्त व्यक्तियों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं;

⇒ ट्रक ड्राइवर के, यात्री परिवहन,कार्गो, सैन्य-सैनिटरी विमान के चालक

⇒ कमांडर के निर्णय के अनुसार अन्य विशेष मामलों पर

२०. आर्मेनिया गणराज्य में किसका प्रवेश निषिद्ध है?

⇒ रूसी संघ या जॉर्जिया से आने वाले लोग जो आर्मेनिया गणराज्य के नागरिक नहीं हैं ।

⇒ गैर नागरिक जो आर्मेनिया गणराज्य में प्रवेश करने से पहले १४ दिनों के लिए महामारी की स्थिति वाले देशों (क्षेत्रों) में रहे हैं।

⇒ गैर नागरिक जो महामारी वाले देशों (क्षेत्रों) से आर्मेनिया गणराज्य में प्रवेश करते हैं ।

२१. मेरी शिक्षा को कैसे व्यवस्थित कर सकता हूं?

आपातकाल के दौरान शिक्षण संस्थानों में (जैसे स्कूल, विश्वविद्यालय, आदि) प्रशिक्षण रोक दिया गया है । आपातकाल के दौरान शिक्षण संस्थानों में (जैसे स्कूल, विश्वविद्यालय, आदि) प्रशिक्षण रोक दिया गया है । अर्मेनिया के शिक्षण संस्थानों में दूरस्थ शिक्षा का उपयोग किया जाता है। शैक्षिक सेट बनाए गये हैं जहां छात्र, शिक्षकों, प्रोफेसरों ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन कर सकते हैं।

२२. किन सामाजिक कार्यक्रमों पर लगा प्रतिबंध?

आर्मेनिया गणराज्य के पूरे इलाके में २० से अधिक की भीड़ एकत्र होने की अनुमति नहीं ,चाहे वह कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या परिवारिक ही न हो।

निम्नलिखित निषिद्ध हैं:

⇒ संगीत कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, स्क्रीनिंग, नाटकीय प्रदर्शनों,खेल, सांस्कृतिक और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों,

⇒ मनोरंजन गतिविधियों,

⇒ उत्सव और स्मरणीय कार्यक्रमों,

⇒ सेनानायक के आदेश के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में अन्य गतिविधियाँ

२३. संस्थानों में किस तरह के प्रतिबंध लागू कर रहे हैं?

१. जेलों, जेल विभागों और निरोध के स्थानों में किस तरह के प्रतिबंध लागू कर रहे हैं

निम्नलिखित निषिद्ध हैं:

⇒ पार्सलों प्राप्त करना और भेजना

⇒ जेल का दौरा करना (कैदी अपने परिजनों और रिश्तेदारों को वीडियो कॉल कर सकें)

⇒ धार्मिक कृत्यों (संस्कारों) का आयोजन करना और धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी

२. जेलों, जेल विभागों और निरोध के स्थानों में प्रतिबंधित कर सकते हैं:

⇒ सैर करना

⇒ जेल विभागों के क्षेत्र के भीतर और बाहर में होना, घूमना

आपातकाल की स्थिति में मानव अधिकार रक्षक का मदद कैसे प्राप्त करें ?

आपातकाल की स्थिति में लागू प्रतिबंधों मानवाधिकार रक्षक की गतिविधियों को बाधित नहीं कर सकते। मानवाधिकार रक्षक को आवेदन करने का अधिकार पूर्ण प्रकृति का है और आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।अगर आप मानते हैं कि राज्य और स्थानीय सरकारी निकायों से आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है,तो आप मानवाधिकार रक्षक को आवेदन कर सकते हैं , पत्र भेज सकते है ।

उपयोगी नंबर/ २४/७ उपलब्ध है

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अर्मेनिया

हॉटलाइन: ११६, +३७४ ९६ ११६१००(«Viber» և «WhatsApp»)

ईमेल: ombuds@ombuds.am

दफ्तर-सेनानायक

हॉटलाइन: ८१४१,

विदेश से कॉल के लिए +३७४ ११ २०८१४१

स्वास्थ्य मंत्रालय

कॉल सेंटर: +३७४ ६० ८३८३००

विदेश मंत्रालय

फोन: +३७४ ६० ६२००००

ईमेल: info@mfa.am

श्रम एंव रोजगार मंत्रालय
हॉटलाइन: ११४
ईमेल: info@mlsa.am

परिशिष्ट

आपातकाल के दौरान

पहचान पत्र

________ २०२०

प्रथम नाम/मध्य नाम/अंतिम नाम	

बाहर निकलने का समय	
बाहर निकलने का पता	
यात्रा का स्थान और यात्रा का नाम	
यात्रा का उद्देश्य	
अपेक्षित वापसी समय	

हस्ताक्षर __________